छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 9-1/2001/1-3 रायपुर, दिनांक 05 मई, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषयः– स्थानीय निवासियों की परिभाषा के निर्धारण के संबंध में ।
संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.06.2003

"स्थानीय निवासियों" की परिभाषा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा जो दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं उनमें "स्थानीय निवासी" की परिभाषा के लिए आवश्यक शर्तो को दो भागों में रखा गया है एवं "स्थानीय निवासी" के लिए दोनों भागों में से प्रत्येक भाग की कम से कम एक शर्त का पूरी होना आवश्यक रखा गया है ।

2/ शासन के ध्यान में यह आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की संतानें, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें उक्त शर्तो के तहत छत्तीसगढ़ का निवासी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ।

3/ अतएव उपरोक्त कठिनाई के संबंध में राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 17.06.2003 की कंडिका–1 में उल्लेखित शर्त क्रमांक–6 में भाग (ग) के पश्चात् निम्नानुसार नई शर्त (घ) और जोड़ी जाती है :–

"(घ) शैक्षणिक अर्हता संबंधित द्वितीय भाग में से किसी भी शर्त की पूर्ति न करते हों, किन्तु आवेदक के माता–पिता में से किसी एक को छत्तीसगढ़ का "स्थानीय निवासी" का प्रमाण पत्र प्राप्त हो अथवा माता–पिता में से कोई एक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता हो या यदि

माता/पिता मृत हो गये हों तो वे यदि जीवित रहते तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते, तो ऐसा आवेदक भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।''

4/ उपरोक्त नई शर्त (घ) के साथ उक्त परिपत्र दिनांक 17.06.2003 की अन्य सभी शर्ते यथावत् लागू रहेंगी ।

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 9-1/2001/1-3 रायपुर, दिनांक 05 मई, 2010

प्रतिलिपिः-

01. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
02. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जीरो पाईंट, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
05. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर,
06. सचिव, लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/सूचना आयोग
07. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर,
08. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
09. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर,
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
13. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़,
14. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
15. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष-9) सा.प्र.वि. को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 01 प्रति सहित प्रेषित,
16. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, समस्त कक्ष मंत्रालय, रायपुर,
17. सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-6 की ओर वेबसाइट **http://cg.nic.in/gad** में अपलोड करने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग